

बदलते सामाजिक परिवेश में पुलिस व्यवस्था में अपेक्षित सुधार

सारांश

बदलते भारतीय परिवेश पर यदि हम दृष्टिपात करें तो एक तरफ जहाँ देश प्रगति पथ पर अग्रसर है वहीं बढ़ती हुयी विकराल जनसंख्या सामाजिक असन्तोष मूल्यों में गिरावट सामाजिक अपराधों में वृद्धि राष्ट्रीय हितों को काफी क्षति पहुँचा रही है। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, वर्तमान परिदृश्य में अपराध और पुलिस का चोली-दामन का सम्बन्ध है। 1861 में बनाया गया पुलिस अधिनियम ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुरूप था। आजादी के बाद हमारे देश की सोच और मानसिकता में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लेकिन हमारी पुलिस आज भी पुराने ढर्रे पर कार्य कर रही है वह अपने को बदलते समाज के साथ नहीं बदल पा रही है।

देश आजाद होने के बाद पुलिस व्यवस्था में जो बदलाव होना चाहिए था, वह नहीं हुआ, न ही हमारी पुलिस समाज के साथ साथ बदली। एक तरफ अपराधियों की बढ़ती हुयी ताकत और तकनीक है, राजनीति का अपराधीकरण है,, तो दूसरी तरफ हमारी पुलिस का खंडित मनोबल और जर्जर पुलिस व्यवस्था है, राजनीतिक अपराधी निर्वाध तरीके से स्वतंत्र तो घूम ही रहे हैं उनके पास स्वचालित हथियार और आधुनिक तकनीक से लैस अन्य उपकरण भी हैं जो अपराध को अन्जाम देने में वे प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पुलिस उनका सामना करने में कहीं न कहीं अपने को विफल पाती है ऐसी स्थिति के बावजूद भी यदि कोई अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो उसके सजा पाने में इतनी कानूनी अड़चने हैं कि वह किसी न किसी तरह दांव-पेंच का सहारा लेकर छूट जाता है ऐसे में हमारी जनता का पुलिस पर से भरोसा उठ जाता है, आज आवश्यकता है इसी भरोसे की जो आम जनता और पुलिस के बीच होना चाहिए, आज की सामान्य जनता पुलिस थानों में जाने से कतराती है पुलिस के सामने वह अपने को असहज महसूस करती है आज भी पुलिस का वही डरावना रूप जनता के सामने आता है। हमें इस स्वरूप को बदलना होगा, और पुलिस को समाज में एक सहयोगी व मित्र की भूमिका अदा करनी होगी। इसके लिए हमें सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था में सोशलरिफार्म की आवश्यकता है।

कमलेश कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
आर०एस०जी०यू०पी०जी०
कालेज,
पुखरायाँ, कानपुर देहात

मुख्य शब्द : सोशल रिफार्म –सामाजिक सुधार, आउट सोर्सिंग–बाह्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना, मदद लेना, काम्यूनिटी पुलिसिंग– पुलिस व्यवस्था को कारगर बनाने हेतु समाज लोगों के अधिकाधिक सम्पर्क में आना व उनके साथ मिलकर अपराध नियंत्रण करना, बहुअनुशासनात्मक कार्यबल –विभिन्न क्षेत्र के आपसी सम्बन्धों के द्वारा समस्या का समाधान, पी०एल०आर०– पब्लिक लेन्डिंग राइट (अच्छे कार्य का पुरस्कार)

प्रस्तावना

स्वतंत्र भारत की यदि हमें पुलिस प्रशासन पर हम दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गये नियमों के आधार पर ही हमारी पुलिस व्यवस्था काम कर रही है, यद्यपि भारत में कई लोकतांत्रिक कानून बनाये गये हैं। परन्तु इन कानूनों को कार्यान्वित करने का जिम्मा पुलिस पर ही रहा है, जिसकी प्रकृति अभी गैर जिम्मेदाराना और तानाशाही जैसी रही है, इसका सीधा असर आमजन के जीवन पर पड़ता है, यदि निरपेक्ष भाव से पुलिस की वास्तविकता को देखा जाये तो उस पर राजनेताओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, मामला चाहे राजनीतिक विरोधियों को डराने, धमकाने या गिरफ्तार करवाने का हो, जनता पर पुलिस फायरिंग करने का हो मानवाधिकार

कार्यकर्ताओं के कहने पर पुलिस हमेशा उनकी मर्जी पर कुछ भी करने को तैयार रहती है।

भूतपूर्व पुलिस निदेशक प्रकाश सिंह ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष पिछले 10 वर्षों में जमा किये गये सबूतों के आधार भारतीय पुलिस से जुड़े सारे पक्षों को उजागर किया था उच्चतम न्यायालय ने इस व्यवस्था के प्रति खेद व्यक्त करते हुये यह आदेश दिया था कि केन्द्र राज्य पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनायें, अगर पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है तो राजनीतिक हस्तक्षेप अपराधियों को बचाने की प्रवृत्ति और संस्कृति को जन्म देती है। वर्तमान में भारतीय पुलिस प्रणाली का विश्लेषण करे तो हमे यह स्वीकार करने में हर्ज नहीं है कि भारतीय पुलिस की छवि ठीक नहीं है जिस तरह पिछले एक दशक में हत्या व बलात्कार की घटनायें बढ़ गयी हैं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस भी समाज का ही अंग है राजनीतिक हस्तक्षेप के अलावा उसे अनेक प्रशासनिक कार्य भी देखना पड़ता है, तथा जहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये अपने अधीनस्थों का शोषण करते हैं, इसके अलावासंसाधनों का अभाव भी हमारी पुलिस झेलती है उसे सीमित संसाधनों द्वारा ही अपराधों का सामना करना पड़ता है वर्तमान भौतिकवादी समाज में मूल्य हीनता के चलते अपराधों में वृद्धि हुयी है समाज की बढ़ती जटिलता के अनुरूप अपराधों की प्रकृति में भी परिवर्तन आये हैं। भावात्मक स्तर पर परिवार समाज में मूल्यों में गिरावट के चलते पहले की तुलना में अपराधों की संख्या के वृद्धि के साथ-साथ इसकी प्रकृति में परिवर्तन हुआ है घरेलू हिंसा, बच्चों के प्रति बढ़ता अपराध, धार्मिक कट्टरता, के चलते सामाजिक उपद्रव में वृद्धि, हिंसा में वृद्धि हुयी है जिसके चलते सामाजिक सामंजस्य व सहयोग में कमी आयी है उपरोक्त विश्लेषण के अतिरिक्त पुलिस का एक और चेहरा समाज के सामने आता जो बड़ा ही भयावह और शर्मनाक प्रतीत होता है अक्सर यह सुना जाता है कि जो लोग पुलिस के चक्कर में किसी प्रकार फंस जाते हैं उनके साथ पुलिस द्वारा या तो गिरफ्तारी के समय या फिर पूछताछ अवधि में या पुलिस हवालात में नृशंस व्यवहार किया जाता है। पुलिस द्वारा अपनाये गये सामान्य तरीके गाली गलौज अपमान जनक शब्दों का प्रयोग, बेइज्जत करने वाले प्रश्न पूछना, हिंसात्मक धमकी देना, लात-जूतों से मारना आदि हैं, यह तो सिर्फ संदिग्ध व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, कभी-कभी तो एफ0आई0आर0 लिखे जाने पर भी आनाकानी करना तथा फरियादी से दुर्व्यवहार करना पुलिस के लिये आमबात है।

न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सरकारें ढुलमुल रवैया ही अपनाये हुये हैं। राज्य सरकारें इन निर्देशों पर अमल करने के लिए हमेशा ही कोई न कोई बहाना पेश करती रहती हैं। अक्सर तर्क होता है कि उनके पास धन नहीं है। सरकारें शायद यह सोचती हैं कि यदि इन दिशा- निर्देशों पर अमल किया गया तो पहले से ही मौलिक अधिकारों के खिलाफ शिकायत करने का एक और मंच मिल जायेगा। आजादी के 66 वर्ष साल बाद भी पुलिसतंत्र की कार्यशैली और उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आने से न्यायपालिका के साथ

समाजशास्त्रियों और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय संगठनों का चिंतित होना लाजिमी है संगीन अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करना उसकी फितरत बन चुकी है ज्यादातर पुलिस कर्मियों के तार राजनीति से जुड़े होते हैं। कई बार तो विधायक और सांसद भी कानून अपने हाथ में लेने से गुरेज नहीं करते हैं। इसकी मिसाल पिछले दिनों मुंबई पुलिस के अधिकारी के महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में कुछ विधायकों द्वारा कथित रूप से पिटाई के रूप में देखने को मिली थीं

दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी पुलिस की संवेदनहीनता का आलम यह है कि मासूम बच्चियों की गुमशुदगी के मामलों में भी वह उदासीनता बनी रहती है दिल्ली में मासूम बच्ची की गुमशुदगी के मामले को पुलिस ने पहले गंभीरता से नहीं लिया और बच्ची निढाल स्थिति में मिली और उससे सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया तो पुलिस ही पीड़ित परिवार को कथित रूप से रिश्वत देने लगी। इस घटना का विरोध कर रही महिलाओं और लड़कियों में से एक पर हाथ उठाने में एक बड़े अधिकारी ने संकोच तक नहीं किया। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में ऐसी ही एक घटना को लेकर विरोध कर रही जनता पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने भी वृद्ध महिला पर हाथ उठाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया।

समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कानून के रक्षक ही जनता के भक्षक कैसे बन रहे हैं। और निहत्थी जनता पर अपनी बहादुरी का परिचय देते समय वे अदालत के निर्देशों पर ताक पर रखने साथ ही यह भी भूल जाते हैं कि यह सूचना क्रांति का दौर है जहाँ दूर से उनकी कारगुजारियों को कैमरे में कैद किया जा सकता है पुलिस का इस तरह का अमानवीय रवैया न्यायपालिका को भी चिंतित कर रहा है इसी समाज का व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनने के बाद खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है।

सवाल यह है कि क्या देश में पुलिस के सामने मानवाधिकारों और संविधान अनु0 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का कोई महत्व है या नहीं। यदि महत्व है तो फिर पुलिस अचानक ही निरंकुश क्यों हो रही है? पहला मौका नहीं है जब पुलिस ने निरंकुश रवैये के प्रति उच्चतम न्यायालय ने इतना कड़ा रुख अपनाया है हाल के दिनों में पुलिस के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के कानून के शिकंजे में आने और जेल की सलाखों के पीछे पहुचने की घटनायें भी यही संकेत देती हैं, कि पुलिस व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को इन दिशा- निर्देशों का विरोध करने के वजाय इन पर शक्ति से अमल करके समूची पुलिस व्यवस्था में बदलाव करना होगा और स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन को राजनीति हस्तक्षेप से मुक्त रखने की आवश्यकता है ऐसा करके ही पुलिस के प्रति जनता में भरोसा करना सम्भव होगा।

इस सवांद में ही असली पुलिसिया चेहरा पेश करने की कोशिश की जाती रही है शायद पुलिस का एक वर्ग इसी से प्रेरित है राज्यों में पुलिस अत्याचार और गैर कानूनी तरीके से निर्दोष व्यक्तियों को हिरासत में रखना

कोई नयी बात नहीं हैं इसकी एक वजह डेढ़ सदी से अधिक पुराना भारतीय पुलिस कानून और ढर्रे पर चल रही पुलिस व्यवस्था भी है। राज्य सरकारों का यह आचरण चिन्ता का विषय है और केन्द्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इन न्यायिक निर्देशों की संवैधानिकता पर सवाल उठाये हैं। उत्तर प्रदेश और आन्ध्रप्रदेश का नजरिया भी कुछ अलग नहीं है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के जीवन दर्शन का अध्ययन करना।
2. स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिक्षा दर्शन का अध्ययन करना
3. स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, धार्मिक, तथा राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना।
4. स्वामी दयानन्द सरस्वती के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करना।

सवाल है कि कार्यपालिका को संचालित करने और जन कल्याण के लिए प्रशासन और पुलिस को उनकी जिम्मेदारियों संबंधी दिशा-निर्देश देने की बजाय यदि राजनीतिक नेतृत्व और मंत्रिमंडल न्यायिक व्यवस्थाओं में नुक्ताचीनी करने लगेगा तो राज्य की व्यवस्था को क्या होगा। देश के संविधान में नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार हैं। न्यायिक व्यवस्थाओं ने इन मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाया है यदि इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो निश्चित ही न्यायपालिका को इसमें दखल देना पड़ेगा और राज्य सरकारों को न्यायिक व्यवस्था के अनुरूप कल्याणकारी कदम उठाने ही होंगे। इसमें राष्ट्रीय पुलिस आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग को राज्यस्तर पर बनाने और पुलिस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने, पुलिस तंत्र में कानून व्यवस्था और अपराध की जांच के लिये अलग प्रकोष्ठ बनाने के निर्देश शामिल थे। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व पुलिस महानिदेशक की जनहित याचिका पर न्यायालय के फैसले का यदि ध्यान से अध्ययन किया जाये तो इसमें दिये गये निर्देशों को किसी भी नजरिये से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता है

पिछले वर्षों में जाने कितने पुलिस आयोग और पुलिस सुधार समितियां बनी, लेकिन आज भी अधिकांश रिपोर्ट कार्यालयों में धूल खा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के तमाम आदेशों के बावजूद अधिकांश राज्यों ने अभी न तो अपने पुलिस एक्ट ही बनाए हैं और न ही पुलिस को पारदर्शी निष्पक्ष और जवाबदेह बनाया गया। गैर पुलिसिय कार्य:— गैर पुलिसिय कार्य में लगे हजारों पुलिसकर्मियों को हटाकर ऐसे कार्यों को आउटसोर्स किया जाए। पुलिस शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रण में लाने के लिए एक तरीका तो यह है कि नियंत्रण पुलिस विभाग के अन्दर से ही किया जाये। इसके लिए 'व्यावसायीकरण' की आवश्यकता है पुलिस को व्यावसायीकरण अनुस्थापन का विकास करना चाहिए जो कि व्यक्तिगत अधिकारों के लिए संवेदनशील होता है पुलिस कार्य प्रणाली का अन्तिम लक्ष्य कानून का कुशलता से क्रियान्वन करना ही नहीं है बल्कि कानून लागू करने में मानवतावादी नीति को अपनाने के

लिए भी पुलिस उत्तरदायी है। इसमें, मानवीय तरीको से कानून के सिद्धान्तों को पूछताछ करने में प्रयोग करना तथा संदिग्ध व्यक्ति से रहस्योद्घाटन कराने के लिए गाली गलौच तथा अपमानजनक तरीकों के प्रयोग से बचना आदि शामिल है इस प्रकार का 'व्यावसायीकरण' न्यायालयों में पुलिस की विश्वसनीयता बनाए रखेगा, जो कि पिछले कुछ वर्षों में काफी नीचे गिर गई है न्यायाधीश, अधिवक्ता, वकील और न्यायालयों में अनेक शिक्षित व्यक्ति पुलिस के प्रति उचित आदर दिखाने में असमर्थ होते हैं, और उनके स्तर को कम व्यावसायिक या अव्यावसायिक के रूप में गिरा देते हैं। अतः पुलिस के लिए यह बुद्धिमानी की बात होगी कि वह लोगों के साथ व्यवहार में बुद्धिमत्ता से काम ले। उन्हें हर एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस व्यवस्था में आदर बनाए रखने के लिए ही हिरासत में नहीं लेना चाहिए बल्कि सार्वजनिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए लेना चाहिए।

अपराध का पता लगाने और दबाने के काम में पुलिस का काम कठिन और क्रान्तिहीन समझा जाता है पुलिस का अधिकतर समय तथाकथित अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था में बर्बाद होता है आवागमन, जेब कतरों और असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने और गश्त लगाने में पुलिस का कम से कम समय लगता है। क्या अपराधिक मामलों के अतिरिक्त व्यक्तिगत और अन्तरव्यक्तिगत समस्याओं को मदद करने का काम भी पुलिस का ही है। यद्यपि नागरिक सदैव पुलिस की प्रशंसा भले ही न करें तथापि पुलिस वाले पहले व्यक्ति होते हैं जो जीवन की जटिलताओं में सहायता की अपेक्षा करने वालों की मदद को आते हैं उदाहरणार्थ, एक स्त्री जिसका पति अक्सर उसे पीटता है वह नहीं चाहेगी कि वह अपने पति की शिकायत पुलिस में करे और उसे गिरफ्तार करा दे फिर भी वह इतना अवश्य चाहेगी कि पुलिस उसके पति को चेतावनी तो दे ही दे कि यदि वह अपना व्यवहार नहीं बदलता तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। एक किराएदार अपने मकान मालिक की परेशानी से बचने के लिए पुलिस की सहायता चाहेगा, एक उपभोक्ता चाहेगा कि खराब माल को बदलवाने में पुलिस उसकी सहायता करे। क्या यह सब सामाजिक कार्य हैं? क्या इस प्रकार के प्रदत्त कार्य पुलिस के लिए नवीन भूमिका के रूप में कहे जा सकते हैं? क्या इस प्रकार के कार्यों को सौंपे जाने के लिए पुलिस बल यथेष्ट है? इस सब के लिए न केवल क्रियान्वन प्रचलनों की आवश्यकता है बल्कि इन परिवर्तनों को लागू करने में राजनैतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता है वास्तव में उपर्युक्त कार्य गश्ती पुलिस के कार्यों का विस्तार मात्र है पुलिस अधिकारियों को निम्न स्तर के पुलिस कर्मियों को निर्देश ही जारी करने है कि वे जरूरतमन्द लोगों की इस प्रकार की मदद करें। इस प्रकार सहायता भुगतान द्वारा सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है, अर्थात् जो कोई पुलिस सेवा प्राप्त करना चाहे उसे इस प्रकार के कार्यों के बदले में कुछ न कुछ भुगतान करना होगा।

पुलिस अधिकारी इस प्रकार के विचारों को हास्यास्पद कह सकते हैं, लेकिन आवश्यक यह है कि पुलिस जनता के प्रति अपनी धारणाएँ बदले। पुलिस

कर्मियों को यह महसूस करना चाहिए कि उनका काम लोगों की सेवा करना है न कि राजनीतिज्ञों की सेवा करना। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उन्हें न केवल अपराधियों को पकड़ना ही है, बल्कि उन्हें पीड़ितों की मदद भी करना है। यह सच है कि पुलिस को सभी संगठनों का 'हरफनमौला' नहीं बनाया जा सकता है पुलिस विभाग को अधिक धन और आधुनिक शस्त्र या तकनीक उपलब्ध कराए बिना उन पर नवीन कार्यों को नहीं सौंपा जा सकता है लेकिन एक बार यदि या अनुभव कर लिया जायें कि पुलिस की भूमिका का विस्तार परम्परागत जिम्मेदारियों से हटकर भी होना चाहिए।

साहित्यावलोकन

आज तक पुलिस व्यवस्था में किये गये सुधारों के सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों की एक लम्बी श्रृंखला है तमाम शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर पुलिस सुधार के लिये जो सिफारिशें की हैं उनका विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि पुलिस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देश में पुलिस सुधार की प्रयासों की भी एक लम्बी श्रृंखला है, जिसमें विधि आयोग, मल्लिमथ समिति पधनाभैया समिति, राष्ट्रीय, मानवाधिकार आयोग, सोली सोराबाजी समिति तथा सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों में पुलिस सुधारों हेतु कई सिफारिशें हैं, परन्तु अब तक इन पर न तो केन्द्र सरकार ने और न ही राज्य सरकारों ने कोई उल्लेखनीय कार्यवाही की है। इन आयोगों, समितियों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गए थे।

एक "एक स्टेट सिक्वोरिटी कमीशन" का गठन हो, जिसका दायित्व, पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।

एक "पुलिस स्टेब्लिशमेंट बोर्ड" का भी गठन हो, जिससे कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता प्राप्त हो।

एक "पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ" का गठन हो, जो पुलिस के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जांच कर सके।

डी0जी0पी0 का कार्यकाल 2 साल सुनिश्चित करने के अलावा आई0जी0 व अन्य पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल भी सुनिश्चित किया जाए।

राज्यों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा पुलिस तथा पुलिस में महिला-कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की जाए।

पुलिस की कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिये उसे आधुनिक हथियारों और उन्नत फॉरेंसिक जाँच तंत्र उपलब्ध करवाना होगा।

ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सन 1861 के पुलिस एक्ट को समाप्त करके सोली सोराबाजी समिति द्वारा प्रारूपित 2006 के एक्ट को लागू किया जाए।

आज के 12 वर्ष पहले वर्ष 2006 में देश की सर्वोच्च अदालत ने जब इस संबंध में निर्देश दिये थे तब लगा था कि जल्द ही पुलिस की कार्यशैली सुधर जायेगी और उसके चलते उसकी छवि भी सुधर जायेगी। किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच तो यह है कि

पुलिस के काम में और गिरावट आई है। बीते 12 वर्षों में पुलिस का राजनीतिकरण और भी बढ़ा है। इसके साथ ही प्रशासनिक तंत्र की आपराधिक तत्वों से गठजोड़ में भी वृद्धि हुई है। इस गठजोड़ के बारे में वोहरा समिति ने 1993 में ही आगाह किया था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1979 से 1981 के बीच आठ विस्तृत रिपोर्ट दीं। पुलिस के कार्यकलाप का इतना विशद एवं समग्रता से पहले कभी परीक्षण नहीं हुआ।

1996 में सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधार हेतु एक जनहित याचिका दाखिल की गई। 12 वर्ष पहले 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया।

सुप्रीम कोर्ट अपने निर्देशों के अनूपालन की निगरानी खुद कर रहा है, फिर भी राज्य सरकारों की हीलाहवाली बरकरार है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि 17 राज्यों ने अपने नये पुलिस अधिनियम बना लिए हैं, क्योंकि ये अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए नहीं, बल्कि उनसे बचने के लिए बनाए गए हैं।

2008 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस थॉमस समिति का गठन किया कि वह उसके फैसले के अनुपालन पर अपनी आख्या दे। इस समिति ने 2010 में अपनी रिपोर्ट में हैरत प्रकट करते हुए कहा कि सभी राज्यों में पुलिस सुधारों के प्रति उदासीनता है।

2013 में पुलिस सुधारों को लेकर जस्टिस वर्मा समिति ने भी विस्तृत टिप्पणी की। इस समिति का गठन दिल्ली में निर्भया कांड के बाद महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी कानून को सख्त बनाने के लिए किया गया था। समिति ने स्पष्ट कहा था कि पुलिस में बुनियादी सुधारों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है।

जस्टिस थॉमस समिति द्वारा निराशा व्यक्त करने और जस्टिस वर्मा समिति द्वारा कोर्ट के आदेशों के अनुपालन को जरूरी बताने का राज्यों पर कोई असर नहीं हुआ। इसकी एक बानगी यह रही कि उत्तर प्रदेश में मनमाने ढंग से महानिदेशकों की नियुक्ति अल्पवधि और यहां तक कि दो-तीन महीने के लिए की गई। भारत सरकार ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में लोक प्रशासन में सुधार के सुझाव देने हेतु किया था, आयोग ने 2005 से 2009 तक अपनी विभिन्न रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। उन्हीं में से पुलिस सम्बन्धी रिपोर्ट को सांराश यहां प्रस्तुत है

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक व्यवस्था नामक पांचवे प्रतिवेदन में प्रवर्तित पुलिस व्यवस्था, पुलिस सुधारों के प्रमुख सिद्धान्तों, पुलिस सुधारों की स्थिति, लोक व्यवस्था, संधारण अपराधिक न्याय प्रणाली, संवैधानिक मुद्दों व विशेष कानूनो व लोक व्यवस्थाओं के संदर्भ में समाज मीडिया व राजनैतिक दलों की भूमिका की विवेचना की।

पुलिस व्यवस्था पर दिए गये सुझाव व निष्कर्ष

द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने यह निर्देश दिया है कि राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह

पुलिस सुधारों के स्थिति को स्पष्ट करे इसके द्वारा दिये गये सुझाव निम्नांकित हैं

कार्य कुशल, प्रभावी, अनुक्रियाशील व जवाबदेह पुलिस व्यवस्था प्रदान करना, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा यह प्रावधान राज्य पुलिस कानून में किया जाना चाहिए।

अन्वेषण प्रमुख की अध्यक्षता में एक अभिकरण बने तथा अन्वेषण बोर्ड के नियंत्रण में कार्य करें। इस बोर्ड का, सेवानिवृत्त कार्यरत न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया जाए, बोर्ड में प्रसिद्ध वकील, वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी गृहसचिव, पुलिस महानिदेशक, अपराध अन्वेषण अभिकरण का प्रमुख की अध्यक्षता में गठित हो, इसमें दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा एक सदस्य राज्य पुलिस निष्पादन व जवाबदेयता आयोग से हो इन सभी सदस्यों को मनोनयन एक आयोग करेगा, यह समिति सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों (उप-महानिरीक्षक) तक की रैंक के प्रकरण निस्तारित करें।

महानगरों में यातायात नियंत्रण व यातायात पुलिस स्थानीय शासन को सौंपी जा सकती है

महानगरों में महानगरीय पुलिस प्राधिकरण बनाया जाए, जो सामुदायिक पुलिसिंग, जनता पुलिस अन्तर्सम्बन्ध पुलिस, कार्यप्रणाली सुधार तथा वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति आदि कार्य निष्पादित करे

प्रत्येक राज्य तुरन्त प्रभाव से बहुअनुशासनात्मक कार्यबल गठित करें जो पुलिस के गैर-महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाए, ताकि उनकी आउट-सोर्सिंग की जा सके, ऐसे में सम्बन्धित अभिकरणों की क्षमता का निर्माण होगा। सशस्त्र पुलिस में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। सशस्त्र कार्मियों के कार्य करने के घण्टे तार्किक ढंग से निश्चय किए जाएं तथा इनका कठोरता से पालन भी हों।

राज्य पुलिस प्राधिकरण, राज्य स्तर पर गठित हो, इसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर उच्च स्तर तक गम्भीर दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच की जाये, इसी प्रकार से जिला स्तर पर जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण होना चाहिए, इसमें एक प्रसिद्ध वकील तथा एक सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिक सदस्य हो, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के परामर्श से की जाए, ये दोनों आयोग, राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायतों की जांच करें और यदि कोई शिकायत झूठी पाई जाए, तो प्राधिकरण के पास शिकायतकर्ता पर समुचित जुर्माना लगाने की शक्ति हो, यह प्राधिकरण एक माह में शिकायतों को निवारण करें

राज्य में स्वतंत्र पुलिस निरीक्षणालय की स्थापना, राज्य पुलिस निष्पादन व जवाबदेयता आयोग के अधीन की जाए ताकि पुलिस थानों के निष्पादन की लेखा परीक्षण हो सके, पुलिस मुठभेड़ में होने वाली मृत्यु की जांच 24 घण्टे के भीतर पुलिस निरीक्षणालय करे और अपनी रिपोर्ट राज्य पुलिस निष्पादन व जवाबदेयता आयोग को प्रस्तुत करें

पुलिस के सभी स्तरों पर 33 प्रतिशत महिलाएं, होनी चाहिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्गों के

प्रति पुलिस को संवेदनशील होनी चाहिए, इनके पुनर्वास पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जहाँ तक सम्भव हो धार्मिक भाषीय एवं अल्पसंख्यक, नागरिकों के क्षेत्र में पुलिस थानों में इनकी जनसंख्या के अनुपात में इन्ही वर्गों के पुलिस कार्मिक रहने चाहिए,

प्रदर्शन, विरोध स्वरूप मार्च, मोर्चा, आदि के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णय-निर्देशों को तथा दंगों के पूर्व अनुभवानुसार विनिमयन बनाए जाने चाहिए।

संवेदनशील क्षेत्रों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, दंगे भड़कने पर पुलिस अधीक्षक या जिला दण्डनायक के द्वारा कानूनी कार्यवाही करने की पूरी छूट दी जानी चाहिए, निषेधाज्ञा का कठोरता से पालन होना चाहिए।

मुखबिर की पहचान छुपाना, सुरक्षा प्रदान करना तथा समुचित पुरस्कार देना चाहिए

पुलिस की गश्त न तैनाती से अधिक उपयोगी यह होगा कि वीडियो कैमरे या सीसीटीवी लगाए जाएं, पुलिस थानों में भी सीसीटीवी व्यवस्था होनी चाहिए

अधिसूचना एकत्रण हेतु जनसामान्य विभिन्न संगठन मुखबिर व प्रौद्योगिकी का भरपूर प्रयोग होना चाहिए, बीट व्यवस्था को पुनर्जीवित व सशक्त करने की आवश्यकता है।

आतंकवाद व संगठित अपराधों का अभियुक्त, यदि चुप रहने का अधिकार चुनता है, तो अदालत चुप्पी का भी अनुमान व निष्कर्ष निकाल सकती है ऐसे प्रावधानों का समावेश कानून में किया जाना चाहिए।

संकट प्रबन्धन के लिए पुलिस होमगार्ड्स एवं अग्निशमन सेवाओं के कर्मचारी प्रशिक्षित होनी चाहिए होमगार्ड्स को पैरा मेडिकल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

राज्य के पुलिस अफसरों की कार्यशैली को लेकर उठ रहे सवालों से चिंतित पुलिस, सरकार, पुलिस अफसरों को ईमानदारी के साथ कार्य योजना बनाकर शक्ति से कार्य करने हेतु निर्देशित कर रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बाल आयोग, महिला आयोग, के दिशा निर्देशों पॉक्सो व जेजे एक्ट के प्रावधान व दण्ड संहिता वे प्रावधान का विशेष ध्यान की आवश्यकता है थाना स्तर पर अधिक से अधिक मामले निपटाकर, जनता में बढ़ रहे असन्तोष को दूर करने की आवश्यकता है।

देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने व अपराध को रोकने, उसकी जांच करने अवैध आतंजन साम्प्रदायिक दंगों, अग्निकांड, चक्रवात, भूकम्प, महामारी आदि पर नियंत्रण और साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाना, कमजोर लोगों की मदद करना, आदि कार्यों का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन करना पुलिस का कार्य है। आज कानून का भय समाप्त होता जा रहा है। लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि पुलिस कमजोर व बिकाऊ है। यदि आदमी के पास पैसा या राजनैतिक प्रभाव है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। लोग यह देख रहे हैं कि तमाम गलत कार्य करने के बाद कोई व्यक्ति माननीय बन सकता है।

पुलिस, अर्धसैनिक बल व सेना में भर्ती के लिये लगभग एक ही उम्र व एक ही पृष्ठभूमि के नौजवान आते हैं। सेना में जाने पर कर्तव्य परायण्यता, देशभक्ति व

ईमानदारी की मिसाल कायम करते हैं, वहीं पुलिस में जाने पर वे उदासीन, भ्रष्टाचार में लिप्त और कर्तव्य से विमुख नजर आते हैं इसका मुख्य कारण है—विभाग का काम करने का तरीका, उनको मिले दिशा—निर्देश, वरिष्ठों द्वारा प्रस्तुत उदाहरण व हर काम में राजनैतिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए 1861 में पुलिस का गठन किया था, अतःस्वरूप में यह प्रजातान्त्रिक आदर्शों—आजादी व समानता के आधार पर पुलिस के गठन की जरूरत है। अच्छी पुलिस के लिए जरूरी है कि आम आदमी में विश्वास हो कि सूचना देने पर या फोन करने पर पुलिस आयेगी और मदद करेगी। इसके लिए नम्बर 100 को और प्रभावी बनाये जाने की जरूरत है।

पुलिस की कार्यवाही में सुधार लाया जाये। पुलिस सिर्फ कानून का राज स्थापित करे। विवेचना में झूठी गवाही व फर्जी बरामदगी न हो। पुलिस सभी बयानों की वीडियो रिकार्डिंग करे। विवेचना(जाँच) व विधि व्यवस्था को अलग किया जाये। “यहाँ यह जानना जरूरी है कि पुलिस के ऊपर निगरानी की अवधारणा पुलिस अधिनियम 1861 से आयी है। यह अधिनियम अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया, क्योंकि जिले में कानून की अंतिम जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है, पुलिस का काम कानून व्यवस्था के साथ—साथ जाँच करना भी है जहाँ कानून व्यवस्था में उसके ऊपर जिलाधिकारी की निगरानी है वहीं जाँच में पूरी स्वायत्तता है। लेकिन जाँच इसलिए प्रभावित हो जाती है, क्योंकि जाँच व कानून दोनों का काम एक ही व्यक्ति करता है, इसीलिए पुलिस आयोग 1902 से ही जाँच व कानून व्यवस्था को अलग करने की सिफारिश कर रहा है लेकिन यह सिफारिश आज तक नहीं मानी गयी।”

गश्त, चेकिंग, तलाशी, गिरफ्तारी आदि में पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है साइबर अपराध, संगठित अपराध और आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना प्रशिक्षण व विशेषज्ञता द्वारा ही किया जा सकता है। सी0बी0सी0आई0डी0 को मजबूत बनाया जाये आर्थिक अपराध शाखा भ्रष्टाचार निरोधक सेल व विजिलेन्स को मजबूत बनाया जाये। अच्छे रिकार्ड वाले अफसरों को इन संगठनों में नियुक्त किया जाये। पुलिस इंटेलेजिन्स को आधुनिक बनाया जाये। सोशल मीडिया की भी कड़ी मनीटरिंग रखी जाये। क्राइम को रोकने के लिए विशेष सेल बनाया जाये। मुखबिरो की सेवा को मजबूत किया जाये।

हर सिपाही थाने में पोस्टिंग चाहता है और विशेषज्ञ इकाइयाँ जैसे फोरेंसिक, कम्प्यूटर आपरेटर, डाग स्क्वायड आदि में नियुक्ती को दंड समझा जाता है अतः पुलिस की कार्य संस्कृति में बदलाव की जरूरत है। पुलिस में श्रम कानूनों को लागू किया जाना चाहिये। आठ घंटे में ड्यूटी, साप्ताहिक अवकाश और समय पर छुट्टी मिलनी चाहिये। गाड़ी के लिए ईंधन, आफिस के लिए स्टेशनरी, अभियुक्तों के लिए भोजन आदि के लिए पर्याप्त पैसा देना होगा ताकि भ्रष्ट रहने की मजबूरी व भ्रष्ट रहने के बहाने दोनों न रहे। पुलिस अच्छा कार्य तभी कर सकेगी जब उसकी कार्य की परिस्थितियाँ ठीक हों। पुलिस कार्मियों के आवास कम है और ज्यादातर जर्जर है। अतः आवास की

सुविधा बढ़ायी जाये। हथियारों व गाड़ियों की कमी दूर की जाये। वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा बढ़ायी जाये।

इंटरनेट के विकास ने जनता के सशक्तीकरण में नया अध्याय जोड़ दिया है जनता की सक्रियता बढ़ी है। ऑनलाइन एफ0आई0आर0 डिजिटल दस्तखत या स्कैन किये गये दस्तखत से हो। लेकिन जब तक विवेचना ठीक से नहीं होगी तब तक न्याय सम्भव नहीं है अतः विवेचना अधिकारियों का नियमित अन्तराल पर प्रशिक्षण होना चाहिये। विवेचना की चूक अपराधी को बचा देती है। केवल एफ0आई0आर0 हो जाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जायेगा, त्वरित कार्यवाही की भी जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक लॉख की आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होना चाहिए जबकि भारत में 182 है। अतः पुलिस बल की काफी कमी है। यातायात सिपाहियों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी तेजी से बढ़ रही है अतः ज्यादा मात्रा में पुलिस भर्ती की जरूरत है। सिपाही/दरोगा की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती आयोग का गठन किया जाये। इस आयोग का अध्यक्ष ऐसे सेवानिवृत्त/कार्यकारी पुलिस अधिकारी को बनाया जाये। जिसका सेवाकाल अच्छा रहा हो। आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री व नेता विपक्ष की सहमति से तय हो। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के स्कोरकार्ड व शारीरिक दक्षता के आधार पर सिपाही/दरोगा की नियुक्ति की जाये। साक्षात्कार न लिया जाये। एन0सी0सी0 के ‘सी’ सर्टीफिकेट वालों को एस0आई0 भर्ती में वरीयता मिलनी चाहिए।

सिपाही/दरोगा जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, इसके लिए उन्हें बीच—बीच में प्रशिक्षण चाहिये। थानाअध्यक्ष पद पर अच्छे कार्य के लिए पी0एल0आर0(अच्छे कार्य का पुरस्कार) की व्यवस्था हो। पुलिस को मानवीय बनाने के लिए सिपाही, दरोगा व डीएसपी का नियमित अन्तराल पर प्रशिक्षण होता रहे। पुलिस का प्रशिक्षण इस तरह का हो कि वह तकनीकी व संसाधन के साथ—साथ जनशक्ति का भी उपयोग कर सके। प्रशिक्षण में नैतिकता व मूल्यों पर जोर हो।

हर थाने में आगन्तुक कक्ष होना चाहिये। कई बार लोगों को 2—3 घंटे दरोगा का इंतजार करना पड़ता है। आने वाले लोग पेड़ के नीचे या रोड पर या धूप में कहीं इंतजार करते हैं। थानों/तहसीलों के बन्दीगृह यातनागृह से कम नहीं है। ज्यादातर हवालातों में साफ हवा व पानी नहीं मिल पाती। आस—पास गंदगी रहती है। शौचालय बहुत गंदे रहते हैं। ये हवालात मानवाधिकारों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। इस पर सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है।

पकड़े गये लोगों को थाने में कम से कम समय तक रखा जाये। थाने से न्यायालय की दूरी कम से कम हो। छुट्टियों में भी मजिस्ट्रेट/जज की व्यवस्था हो। तभी सुधार का फायदा मिलेगा, जब न्याय व्यवस्था में सुधार होगा। न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए सुचना तकनीक का व्यापक प्रयोग हो और न्याय जल्द हो। अपराध रोकने के लिए मौत का नहीं बल्कि सजा का भय होना जरूरी है, अतः त्वरित न्याय की जरूरत है। त्वरित न्याय के लिए कानूनों में सुधार की जरूरत है।

निष्कर्ष

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों की अज्ञान निद्रा में सोये हुए भारत को जागृत किया। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना कर राष्ट्रीय पुर्नजागरण का कार्य किया। मानवता के लिए किये गये उनके कार्य निःसन्देह महान् थे।

लोकमान्य तिलक ने उनके विषय में लिखा है – “ऋषि दयानन्द जाज्वल्यमान नक्षत्र थे, जो भारतीय आकाश पर अलौकिक आभा में चमके और गहरी निद्रा में सोये हुए भारत को जागृत कर गये। वे स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक एवं मानवता के उपासक थे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ० एस० अखिलेश – ‘ आधुनिक भारत और पुलिस की भूमिका, प्रकाशक – राधा कृष्णा पी०एल० 2/38 अन्सारी मार्ग दरिया गंज दिल्ली (1995)
2. डॉ० परिपूर्णानन्द वर्मा– भारतीय पुलिस, प्रकाशक– विश्वविद्यालय प्रकाश चौक वाराणासी उत्तर प्रदेश (1994)
3. श्री मती रश्मी मिश्रा– चवसपबम दक `वबपंस बींदहम पदकपं, प्रकाशक– वि०वि० प्रकाशक चौक वाराणसी उत्तर प्रदेश (1995)
4. श्री गिरिराजशाह– भारतीय पुलिस, प्रकाशक– वि०वि० प्रकाशन चौक वाराणसी उत्तर प्रदेश
5. श्री एन० के० राय– ‘पुलिस नामा’, प्रकाशक– प्रभात प्रकाशन–चवेरी बाजार दिल्ली
6. डॉ० पी० डी० शर्मा– भारतीय पुलिस, प्रकाशक –प्रभात प्रकाशन–चवेरी बाजार नई दिल्ली (1977)
7. एस०एस० वैद्यनायन, –पब्लिक एण्ड दि पुलिस, प्रकाशक– साहित्य भवन हास्पिटल रोड आगसा उत्तर प्रदेश
8. पुलिस पत्रिकायें
9. समाचार पत्र